

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध GCMS नंबर 2024/415 बअनवान मोतीराम बनाम हुकमाराम वगेरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
12 ⁰⁵ / ₂₆	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री छगनलाल उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित बिंदुओ प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपुरणीय क्षति के बिंदुओं पर मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन के पश्चात वादग्रस्त भूमि ग्राम बोया के खसरा नंबर 547 रकबा 0.4100 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि के संबंध में मूल वाद के निर्णय तक मौके की यथा स्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।</p>	



सहायक कलेक्टर एवं फर्द
सहायक जज एवं फर्द
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली